कार्यालय जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा गाँधी भवन फूलबाग, कानपुर नगर।
दूरभाष नम्बर–0512–2982477

पत्रांक 361 /ना0सु0/एस0टी0–प्र0वि0/26 दिनांक 8-5- 2026

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर।

अवगत कराना है कि नागरिक सुरक्षा कोर कानपुर नगर में वार्डेन सेवा के अवैतनिक/स्वयं सेवी नागरिक सुरक्षा प्रखण्डों यथा–(प्रखण्ड पनकी, सर्वोदय नगर, कलक्टर गंज, कृष्णा नगर एवं गोविन्द नगर कुल 05–पॉच) में डिवीजनल वार्डेन(अवैतनिक) के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु कोर के इच्छुक सदस्यों एवं आमजन से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन जमा करने की तिथि 10 मई, 2026 से 25 मई, 2026 तक निर्धारित है, जिसकी विस्तृत जानकारी एन0आई0सी0, कानपुर नगर की वेबसाइट upkap@nic.in पर अपलोड की जानी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/विवरण पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि संलग्न विवरण एन0आई0सी0, कानपुर नगर की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(शिवराज सिंह)
उपनियंत्रक/सदस्य
नागरिक सुरक्षा, कानपुर नगर।

प्रतिलिपिः–

01. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), कानपुर नगर/अध्यक्ष, नागरिक सुरक्षा वार्डेन चयन समिति कानपुर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर जिलाधिकारी(नगर), कानपुर/सदस्य, नागरिक सुरक्षा वार्डेन चयन समिति कानपुर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. डा0 रमित रस्तोगी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर/सदस्य, नागरिक सुरक्षा वार्डेन चयन समिति कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित

(शिवराज सिंह)
उपनियंत्रक/सदस्य
नागरिक सुरक्षा, कानपुर नगर।

<u>निःशुल्क प्रकाशनार्थ</u>

नागरिक सुरक्षा कोर में डिवीजनल वार्डेन के अवैतनिक पद पर भर्ती हेतु अपील

नागरिक सुरक्षा कोर में अवैतनिक पद पर भर्ती होकर देश/समाजसेवा का अवसर

नागरिक सुरक्षा कोर कानपुर नगर एक गैर राजनीतिक संगठन है, कोर में वार्डेन सेवा के निम्नानुसार अवैतनिक रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है।

कमांक	पदनाम	प्रखण्ड/रिक्तियों की संख्या
01.	डिवीजनल वार्डेन	गोविन्द नगर / 01
02.	डिवीजनल वार्डेन	कलक्टर गंज / 01
03.	डिवीजनल वार्डेन	पनकी / 01
04.	डिवीजनल वार्डेन	कृष्णा नगर / 01
05.	डिवीजनल वार्डेन	सर्वोदय नगर /01

नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 1670/अनु–1/89/2014 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा नागरिक सुरक्षा संगठन की कार्यकुशलता के हित में संगठत में कर्मठ, योग्य व निष्काम सेवा भाव से कार्य करने वाले व्यक्तियों को सदस्य बनाने हेतु वार्डेन सेवा के अवैतनिक सदस्यों की नियुक्ति व नवीनीकरण हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968 की धारा–4(2) के अधीन निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

<u>(अ) नियुक्ति हेतुः–</u>

01. वह भारत का नागरिक हो।
02. उसकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
03. जो शारीरिक रूप से स्वस्थ्य व मानसिक रूप से सजग हो।
04. नागरिक सुरक्षा कोर में स्त्री एवं पुरूष दों ही सदस्य हो सकते हैं।
05. जिस क्षेत्र में वार्डेन नियुक्त किया जाए उसे उसी क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
06. वह सद्चरित्र, क्षेत्र में अच्छी छवि वाला प्रभावशाली, लोकप्रिय प्रतिष्ठित तथा समाजसेवी व्यक्ति होना चाहिए।
07. वह किसी भी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता हो।
08. नागरिक सुरक्षा कोर में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता जो किसी अपराध में अवरूद्ध होकर मा0 न्यायालय से दण्डित हो चुका हो अथवा उस पर गम्भीर अपराध का मुकदमा दर्ज हो व इन गम्भीर मुकदमों(विशेषकर गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, एन0डी0पी0एस0 व महिलाओं से छेड़खानी, महिला उत्पीड़न, चोरी, लूट, हत्या, सरकार धन का गबन, राज्य के खिलाफ अशांति पैदा करना, रेलवे की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, राज्य सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, तोड़–फोड़, राष्ट्रद्रोह आदि) में पुलिस के स्तर पर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया हो और मा0 न्यायालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति दोषमुक्त नहीं हुए हों।
09. नागरिक सुरक्षा कोर में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जिनकी जमीन कब्जाने, दलाली गलत कामों में लिप्त होने आदि की आम शोहरत हो।

नोंट– किसी भी व्यक्ति की आम छवि, आम शोहरत आदि के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर कोई भी मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में स्थानीय अभिसूचना इकाई(एल0आई0यू0) की अन्तिम रिपोर्ट मानी जाएगी।

<u>(ब) भर्ती में वरीयता हेतु विशेष अर्हताः–</u> उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए–

S/ Pc

01. जो ई–मेल व इण्टरनेट का प्रयोग जानते हों।
02. जो एस0एम0एस0 व व्हाट्सएप् आदि पर उपलब्ध हो।
03. जो 20–40 वर्ष की आयु के हो।
04. जिनके पास निजी सवारी, टेलीफोन व अपना मकान हो।

(स) पदोन्नतिः– नागरिक सुरक्षा कोर में वार्डेन सेवा एक अवैतनिक सेवा है व संगठन में समाज के व्यक्ति प्रायः सेवा भाव व राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ते हैं अतः सभी को विभिन्न पदों पर समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस हेतु यह आवश्यक है कि अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विभिन्न अवैतनिक पदों पर प्रोन्नति की भावना के अधीन नियुक्तियॉ की जायें। उच्च पद जब भी रिक्त हो तो ठीक उससे नीचे के पदधारी को ही उच्च पद पर प्रोन्नत किया जाये। असाधारण परिस्थितियों में ही सीधी नियुक्ति की कार्यवाही की जाए। इस व्यवस्था से वार्डेनों में भी कार्य कुशलता बढ़ेगी व वरिष्ठता के सिद्धान्त पर उनकी प्रोन्नति होने से उनमें उत्साहवर्धन होगा तथा उनका सदैव मनोबल उच्च रहेगा। यह निश्चित रूप से संगठन के हित में होगा।

(द) नवीनीकरण हेतु निर्देश :– ऐसे सदस्यों का नवीनीकरण नहीं किया जाए –

01. जिन्होंने नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968 के विनियम–4(4) में प्रावधानित प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो तथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।
02. जो गत 03 वर्षो में प्रशिक्षण, अभ्यास व ड्यूटी से निर्देशों के बावजूद अनुपस्थित रहे हों तथा इस हेतु नागरिक सुरक्षा विनियम–1968 के नियम–10 के अनुरूप वॉछित अनुमति भी प्राप्त न की हो।
03. जो शासन/मुख्यालय/नियंत्रक द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहे हों।
04. जिन्होंने अपने हाउस होल्ड रजिस्टर कम–से–कम 60 प्रतिशत पूर्ण न किया हो।
05. जो नियंत्रक की अनुमति के बगैर नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी ड्यूटी व प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में प्रेस से वार्ता करते हों या किसी राजनैतिक संगठन से सम्बन्ध रखते हों।
06. जो आपराधिक या अन्य ऐसे किया–कलापों में लिप्त हो जिससे सम्बन्धित वार्डेन की, और उस कारण नागरिक सुरक्षा संगठन की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इस सम्बन्ध में आवश्यक होने पर एल0आई0यू0 की रिपोर्ट प्राप्त की जाए।
07. प्रत्येक नवीनीकरण में नागरिक सुरक्षा विनियम की धारा3(3) का पालन करके सदस्य की शारीरिक स्वस्थ्यता व मानसिक सजगता का परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी से करायें।

अतः नागरिक सुरक्षा कोर में रिक्त उक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कानपुर नगर के ऐसे नागरिकों(पुरूष/महिला) से अपील की जाती है कि ऐसे इच्छुक नागरिक/सदस्य जो उपरोक्त अर्हता रखते हों, दिनांक 10 मई, 2026 से 25 मई, 2026 की सायंकाल 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस की कार्यालय अवधि में नागरिक सुरक्षा कार्यालय गॉधी भवन फूलबाग दूरभाष नं0–0512–2982477 में जानकारीं/आवेदन करने हेतु सम्पर्क करें, निर्धारित तिथि एवं समय उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

भारत सरकार(गृह मंत्रालय) द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को शासन एवं निदेशालय नागरिक सुरक्षा द्वारा सम्मान पत्र एवं राष्ट्रपति प्रदत्त **"गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक" तथा पद्मविभुषण, पद्मभूषण व पद्मश्री** जैसे उपाधियों/सम्मान को देने की व्यवस्था है

08/5/26

(शिवराज सिंह)
उपनियंत्रक/सदस्य
नागरिक सुरक्षा, कानपुर नगर।